न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2019-00347Jodh2019-181 Smt Leela etc Vs Sukhsingh etc

---

1. लीलाकंवर पुत्री प्रेमसिंह जाति राजपूत
2. रतन कंवर पुत्री प्रेमसिंह जाति राजपूत
   निवासीगण ग्राम उदलियावास,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सुखसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
2. कैलाश कंवर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत
3. रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत
   निवासीगण ग्राम उदलियावास
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
4. शाखा प्रबन्धक,
   यूको बैंक, शाखा खारिया मीठापुर
5. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बिलाडा
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा दिनांक 21 अक्तूबर 2019 राजस्व पार्थनापत्र संख्या 24/2017

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री बी.आर. विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री बीरबलराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो व तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 25 अक्तूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 24/2017 लीलाकंवर बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुखसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 अक्तूबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 18 नवम्बर 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 1056 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 1059 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 1063 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 1064 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, कुल खसरा संख्या 4 रकबा 36 बीघा 4 बिस्वा जो ग्राम उदलियावास की खाता संख्या 53 पर वर्तमान में दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 528 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 643 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 660 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 669 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 670 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 684 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 1050 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 1051 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1060 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1397/1052 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, कुल खसरा 10 कुल रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा जो वर्तमान में ग्राम उदलियावास की जमाबंदी में खाता संख्या 54 पर दर्ज है, खसरा नं. 1052 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1053 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1058 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 1061 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 1062 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 1075 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, कुल खसरा 6 कुल रकबा 44 बीघा 4 बिस्वा, जो राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में खाता संख्या 324 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नं. 529 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जो मौजूदा समय में जमाबंदी के खाता संख्या 275 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नं. 645 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नं. 651 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 664 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, कुल खसरा 3 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा जो जमाबंदी के खाता संख्या 216 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 527 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा जो खाता संख्या 273 पर वर्तमान में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या 1071 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नं. 1074 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा जो मौजूदा समय में जमाबंदी में खाता संख्या 325 पर दर्ज है, झूंझारसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत की खातेदारी की होना, झूंझारसिंह के दो पुत्र नारसिंह, (रेस्पो. संख्या एक के पिता) तथा प्रेमसिंह (अपीलाण्ट संख्या एक के पिता व दो के पति) होने के आधार पर हिन्दू विधि के अनुसार अपीलाण्ट्स का ½ तथा रेस्पो. का ½ हिस्सा होना जाहिर करते हुए एक नियमित वाद पेश किया जाना बताया और मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजियात बाबत अपीलाण्ट्स के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 अक्तूबर 2019 को खारिज कर दिया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि झूंझारसिंह के देहान्त के बाद उक्त आराजियात अकेले नारसिंह के नाम दर्ज हो गयी, दोनो पक्षकारान् वादग्रस्त भूमि पर बतौर सहखातेदार काबिज है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में दर्ज अन्य सहखातेदारान् प्रभावी एवं आवश्यक पक्षकार नहीं है। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वक्त बंदोबस्त प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स के पूर्वज स्वर्गीय झुंझारसिंह के नाम दर्ज थी। एकीकरण की प्रक्रिया चालु रही, जिसके दौरान झुंझारसिंह का देहान्त हो गया, तथा प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स के पति/पिता प्रेमसिंह नाबालिग थे, एवं परिवार में ज्येष्ठ व्यक्ति एवं कर्ता खानदान झुंझारसिंह के ज्येष्ठ पुत्र नारसिंह थे,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिन्होनें संपूर्ण वादग्रस्त भूमि महज अपने अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में अवैध ढंग से बिना किसी नामांतरण के दर्ज करवा दी। प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा उपरोक्तानुसार अपने हिस्से की मांग की। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अन्य खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने तथा स्वर्गीय झुंझारसिंह की खातेदारी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही करने का मुख्य आधार मानते हुए अस्वीकार कर दिया। अप्रार्थीगण-रेस्पो. उक्त तथाकथित आदेश की आड़ में प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की पुश्तैनी कृषि भूमियों पर जबरन कब्जा कर बाधा-अड़चन पैदा कर रहे है एवं बेदखल करने पर उतारू है तथा वादग्रस्त कृषि भूमियों का बेचान करने पर आमादा है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जावे और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2019 खारिज कर अप्रार्थीगण-रेस्पो. को पाबंद किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स को उनकी कब्जा सुदा व पुश्तैनी कृषि भूमियों से बेदखल नही करे तथा प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स को उक्त कृषि भूमियों के उपयोग एवं उपभोग में अप्रार्थीगण-रेस्पो. किसी प्रकार की बाधा, अड़चन न तो स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य के जरिये करावें। वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान हस्तांतरण अप्रार्थीगण-रेस्पो. नही करे तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि कभी भी वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट्स का कब्जा-काश्त नहीं रहा है और न ही अपीलाण्ट्स की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज यथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि पेश नहीं की गयी है, जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजियात को झूंझारसिंह की खातेदारी की होना मान कर पुश्तैनी भूमि माना जा सके। संवत 2011-2014 के राजस्व रिकार्ड में भू-प्रबंध विभाग द्वारा उक्त आराजियात नाहरसिंह पुत्र झूंझारसिंह का दर्ज है। ऐसी स्थिति में संवत 2014-2017 में झूंझारसिंह पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चिमनसिंह का नाम दर्ज होने का कोई स्पष्ट आधार नहीं है और न ही पुत्र का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद की अवधि में पिता का नाम दर्ज होना तार्किक है। जमाबंदी संवत 2020-2023, 2028-2031, 2032-2035, 2036-2029 एवं 2041-2044 में वादग्रस्त आराजियात नाहरसिंह पुत्र झूंझारसिंह के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण स्पष्ट तौर पर अपीलाण्ड्स की बजाय रेस्पो. के पक्ष में है और राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने तथा मौके पर कब्जे के अभाव में अपीलाण्ड्स को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति अथवा गम्भीर असुविधा होने का भी प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ड्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि जमाबंदी (खेवट खतौनी) **ग्राम उदलियावास तह. बिलाड़ा संवत् 2014 से 2017 की खतौनी जमाबंदी संख्या 2014 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी उदेसिंह, झुंझारसिंह बेटा चिमनसिंह अन्य सहखातेदारों के साथ खातेदार रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। इसी तरह खसरा गिरदावरी मौजा उदलियावास सवंत् 2008 से 2011 इसी नाम की पुष्टि करती है।** सेटलमेंट संवत् 2016 से 2030 में खाता संख्या 273 तथा 266 में अन्य सहखातेदारों के साथ उदेसिंह वल्द चिमनसिंह हि. 1/16 नारसिंह वल्द झुंझारसिंह हिस्सा 1/16 दर्ज रिकॉर्ड है। इससे वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होना जाहिर होता है। अपीलांट के अपील मीमों में कथनानुसार स्वर्गीय झुंझारसिंह के दो पुत्र नारसिंह एवं प्रेमसिंह होने के तथ्य का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट्स के इस कथन का भी किसी ठोस आधार पर रेस्पो. द्वारा खण्डन नहीं किया गया है कि उपरोक्त बंदोबस्त रिकॉर्ड एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में झुंझारसिंह के एकमात्र पुत्र नारसिंह का ही नाम खातेदारी में दर्ज हुआ तथा उनके दूसरे पुत्र प्रेमसिंह जो अपीलांट संख्या 1 के पिता एवं अपीलांट संख्या 2 के पति थे, तत्समय अवसान होने से नाम खातेदारी में अंकित होने से रह गया। झूंझारसिंह के दूसरे पुत्र प्रेमसिंह का नाम वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने का रेस्पो. की ओर से कोई कारण भी नहीं बताया गया है।

जो नजीर 2010(2) आरआरटी 1392 अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से पेश की गयी है, अदालत हाजा उसका पूर्णतया सम्मान करती है किन्तु वर्तमान अपील प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर पुश्तैनी होना जाहिर होता है। अतः तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त नजीर एवं अन्य प्रस्तुत की गयी नजीरें - 2006-07 (पूरक) आरआरटी 6692004(1) आरआरटी 587, 2003(2) आरआरटी 1283 तथा 2011(1) आरआरटी 612 वर्तमान प्रकरण में हूबहू लागू नहीं होती है।

इन परिस्थितियों में, यद्यपि पक्षकारान के हक-हकूक एवं स्वत्व का निर्धारण मूल वाद में निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने के समय होना है, तथापि वर्तमान में पत्रावली पर उपलब्ध अन्य **रिकॉर्ड पारिवारिक इकरारनामा, निर्वाचन नामावली मतदान केन्द्र संख्या 2 गांव उदलियावास विधानसभा बिलाड़ा सन् 1975 से भी प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होता है।** अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि का यदि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 हस्तांतरण कर देते है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति संभाव्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 24/2017 लीलाकंवर बनाम सुखसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 अक्तूबर 2019 अपास्त किया जाता है, साथ ही अदालत हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 19 नवम्बर 2019 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा ता-फैसला मूल वाद पुष्ट (confirm) की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 को पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि जो ग्राम उदलियावास की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता संख्या 324,275,216,53,54,273 एवं 325 में वर्णित खसरों की भूमियों में मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेंट सं. 1 के निहित हक-हिस्से में सें 1/2 हिस्से तक की भूमि का हस्तांतरण/बेचान अथवा अन्य किसी भी प्रकार से मुंतकिल नहीं करें और मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/IX/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर